न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
012/2025(रे.वि.) (GCMS 2025/72)	26.03.2025	15.04.2025

अनवान

1. नरेन्द्र कुमार पिता ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बेंगू तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. दीपान्शु पिता ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बेंगू तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. अमन कुमार पिता सुनील कुमार अजमेरा जाति अजमेर तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. रामेश्वरलाल पिता भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बेंगू तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बेंगू तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र बाबत् वाद–पत्र मय प्रार्थना–पत्र अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत कि विपक्षी तहसीलदार बेंगू द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगू में प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 044/2025 है एवं वाद–पत्र के साथ प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेघाज्ञा प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 020/2025 है।

प्रार्थी संख्या 2 पेशे से पत्रकार है, इस कारण से अप्रार्थी तहसीलदार बेंगू प्रार्थी से व्यक्तिगत रंजिश रखने लगय गये है एवं इसी कारण विपक्षी ने प्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान के उपर गलत तथ्य अंकित कर वाद–पत्र मय प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है। जिस पर न्यायालय द्वारा विपक्षी तहसीलदार के प्रभाव में आकर प्रार्थीगण को सुने बगैर एक तरफा स्थगन आदेश जारी कर दिया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होकर प्रभाव वश किया आदेश है। प्रार्थीगण को अनैतिक रूप से परेशान करना इससे साबित होता है कि तहसीलदार बेंगू ने ही इस भूमि का भू–रूपान्तरण किया है और वर्तमान में इस भूमि का काफी हिस्सा रूपान्तरित है एवं रूपान्तरित भूमि के विवाद को सुनने का अधिकार न्यायालय सहायक कलक्टर को नहीं होतु हुए एक तरफा

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

स्थगन दिया जाना साबित करता है कि उक्त आदेश प्रभाव वश किया गया है। प्रार्थीगण को न्यायालय सहायक कलक्टर बेंगू से न्याय की उम्मीद नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण इस प्रकरण का स्थानान्तरण चाहते है। अतः उक्त वाद–पत्र मय प्रार्थना–पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर बेंगू से जिले के किसी भी न्यायालय में स्थानान्तरण करने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं प्रकरण में अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगू से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त किये जाने हेतु एवं मूल पत्रावलियां तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी बेंगू से पत्रांक/सरिश्ता/2025/180 दिनांक 07.05.2025 से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई है जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। उपखण्ड अधिकारी बेंगू से पत्रांक/सरिश्ता/2025/181/(499) दिनांक 07.04.2025 से मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 044/2025 (रे.वा.) अनवानी तहसीलदार बेंगू बनाम नरेन्द्र कुमार वगैराह अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व प्रार्थना–पत्र 020/2025 (रे.प्रा.प.) अनवानी तहसीलदार बेंगू बनाम नरेन्द्र कुमार वगैराह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय को प्रेषित की गई जो पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बेंगू द्वारा प्रेषित टिप्पणी में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी संख्या 2 द्वारा लगाये गये आक्षेप पूर्णतया निराधार एवं गलत है। न्यायालय किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई रंजिशवश कार्य नहीं करता है। प्रार्थीगण को सुने बगैर आदेश जारी किये जाने का प्रश्न है तो वादवर्णित भूमि मंदिर भूमि होने से तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रतीत होने से अंतरित आदेश दिया जाकर मौके पर हो रही कार्यवाही को रोका जाना न्यायालय ने उचित समझा है। मंदिर की भूमि के गत आराजी संख्या जिनके नवीन नम्बरान में कोई कार्य किया जा रहा है उसके राजस्व दस्तावेज का पूर्णतया अवलोकन किया जाकर इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश आगामी तारीख तक दिया है। प्रार्थीगण का यह आरोप लगाया जाना कि न्यायालय तहसीलदार के प्रभाव में आकर कोई गलत आदेश पारित करा सकता है पूर्णतया गलत है, इस तरह के आक्षेप न्यायालय पर लगाये जाने का अधिकार किसी प्रार्थी/व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही उपखण्ड अधिकारी बेंगू द्वारा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 044/2025 को स्थानान्तरण किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में मुख्य तथ्य यह उठाया गया है, पीठासीन अधिकारी विपक्षी के प्रभाव में आकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एक तरफा स्थगन आदेश पारित कर दिया गया है व प्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित कर सकते है एवं प्रार्थीगण को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगू से न्याय की उम्मीद नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध मूल पत्रावलियों के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार बेंगू द्वारा दिनांक 05.03.2025 को हस्तगत प्रकरण के प्रार्थीगण व अन्य के विरूद्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया एवं इसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रकरणों पर राजस्थान कॉर्ट मैन्यूल, 1956 के नियम 48 के तहत संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना प्रतिवेदित नहीं होता है, क्यों कि उक्त प्रकरण पर सबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने का प्रस्तुतीकरण अंकित नहीं है। राजस्थान कॉर्ट मैन्यूल, 1956 के नियम 55 के तहत प्रस्तुत प्रकरणों का परीक्षण संबंधित रीडर/अहलमद द्वारा किया जाना प्रावधित है, जबकि हस्तगत प्रकरणों की जांच किये जाने बाबत् स्पष्ट जांच रिपोर्ट अंकित नहीं है एवं प्रार्थना–पत्र में तो संबंधित कार्मिक रीडर/अहलमद के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 14 के उप–नियम 1 में प्रावधित किया गया है जिन दस्तावेज के आधार पर वादी वाद पत्र लाता है उन दस्तावेजात को वह वाद–पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज को या उसकी प्रति को वाद–पत्र के साथ संलग्न किये जाने के लिये परिदत्त करेगा, किन्तु हस्तगत प्रकरणों में उपखण्ड अधिकारी बेंगू से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावलियों में किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है एवं ना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कोई प्रार्थना–पत्र वादी की और से प्रस्तुत भी नहीं है, जबकि उपखण्ड अधिकारी बेंगू द्वारा प्रेषित टिप्पणी के पैरा संख्या 6 में अवगत कराया गया है कि राजस्व दस्तावेज का पूर्णतया अवलोकन किया जाकर न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू द्वारा दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने का तथ्य विरोधाभासी है। तहसीलदार बेंगू (वादी) द्वारा वाद–पत्र दिनांक 05.03.2025 को प्रस्तुत किये जाने का वाद–पत्र में अंकन है, जबकि न्यायालय में दर्ज एवं आदेश दिनांक 12.03.2025 है, ऐसी स्थिति में एक तरफा बहस सुने जाने वाले तथ्यों का भी सुसंगत नहीं होना प्रतीत होता है। प्रार्थी तहसीलदार बेंगू द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा में अनुतोष राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार को परिवर्तन एवं बेचान नहीं करने बाबत् चाहा गया है, वही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा में आराजीयात जैरबहस बाबत् दखलन्दाजी एवं निर्माण कार्य नहीं करने बाबत् ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, इसके राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति रखी जावे ऐसा अंकन नहीं है, जबकि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन का आधार से भूमि को खुर्द–बुर्द करने से रोकना था, ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी बेंगू से प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र पर प्रेषित टिप्पणी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/दस्तावेजात से मेल नहीं खाती है। वादी तहसीलदार बेंगू द्वारा वाद–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र में अनुतोष जमाबंदी संवत् 2028 की खाता संख्या 90 होना अंकित किया गया है जो कि लगभग 56 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रथम दृष्टया प्रकरण बिना दस्तावेज के किस प्रकार से साबित कराया गया है यह तथ्य पत्रावली पर स्पष्ट नहीं होता है।

इसके साथ ही हम राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक/प.3(637)राज–7/2023 दिनांक 08.02.2024 व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/राम /न्याय/स्था/प–76/2022/2930 दिनांक 04.08.2022 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की और ध्यान आकृष्ट करावाया जाना उचित समझते है। परिपत्रों द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर स्थगन के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 17 में विहित प्रावधानों एवं यथा सम्भव दोनों पक्षों को सुनकर ही स्थगन जारी किये जाने बाबत् निर्देशित किया गया है, वैसे भी न्यायापालिका में, न्याय व्यवस्था में विश्वास हेतु भी यह आवश्यक है कि न केवल न्याय किया जाये अपितु स्पष्टतः प्रतीत भी हो, ऐसे में तथ्यों को पत्रावली पर लेना, सुस्पष्ट करना अधीनस्थ न्यायापालिका से अपेक्षित है।

उपखण्ड अधिकारी बेंगू द्वारा प्रकरण को स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया है, ऐसी स्थिति में **Interest of justice** उपखण्ड अधिकारी बेंगू में विचाराधीन उक्त प्रकरणों को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेंगू के प्रकरण संख्या 044/2025 (रे.वा.) अनवानी तहसीलदार बेंगू बनाम नरेन्द्र कुमार वगैराह अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व प्रार्थना–पत्र 020/2025 (रे.प्रा.प.) अनवानी तहसीलदार बेंगू बनाम नरेन्द्र कुमार वगैराह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को दीगर न्यायालय में मुंतकिल/स्थान्तरित हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेंगू में विचाराधीन उक्त दोनों प्रकरणों को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन को सुनवाई हेतु प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली के साथ हम किता उक्त मूल पत्रावलियां न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन को वास्ते सुनवाई हेतु प्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत् सूचित करते हुये प्रकरण का समुचित परीक्षण कर बाद विचारण निर्णय पारित किया जावे, एवं तहसीलदार बेंगू को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरणों में वाद–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र के समर्थन में ठोस दस्तावेजात साक्ष्य नियमानुसार न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन में प्रस्तुत किये जाकर राजकीय हितों की रक्षा किया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रति मय उपखण्ड अधिकारी बेंगू से प्राप्त मूल पत्रावलियों के न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन को भिजवाई जावें एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगू एवं तहसीलदार बेंगू को निर्णय की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **15.04.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official